

188
25

पत्रावली पेश। पार्टी व वकील पार्टी को
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार
आवाज लगाने के पश्चात भी पार्टी व
वकील पार्टी न्यायालय भी पार्टी व
वकील पार्टी में हाजिर नहीं आये।
अतः पार्टी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 212 RTI अधिनियम हाजरी अधिनियम
पैरवी में खारिज किया जाता है
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल पत्र हो।

[Signature]